


राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक: एफ 1(1)(1) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2014/ 8892-910 जयपुर, दिनांक 27/5

अधिसूचना


फसल खरीफ संवत् 2071 में खराबा के कारण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11279-98 दिनांक 5.11.2014, 10908-44 दिनांक 19.10.2014 एवं 12413-32 दिनांक 12.12.2014 एवं रबी फसल 2015 अधिसूचना क्रमांक 3769-826 दिनांक 30.3.2015 एवं 6206-25 दिनांक 13.5.2015 के द्वारा अभाव अवधि 31 जुलाई, 2015 निर्धारित की गई थी। दिनांक 1.7.2015 को राज्य कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णयानुसार अब अभाव अवधि 15 जुलाई, 2015 तक निर्धारित की जाती है।

ध्यान रहे कि इस अभाव अवधि में इन जिलों में पूर्व से संचालित खरीफ एवं रबी में समस्त राहत गतिविधियां यथा पेयजल पविहन, गौशाला/पशु शिविर, चारा परिवहन एवं अनुग्रह सहायता की अवधि प्रारम्भ दिनांक से 15 जुलाई, 2015 तक ही संचालित की जा सकेगी।

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मन्त्री
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)/जल संसाधन/ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
14. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
15. समस्त जिला कलेक्टर, (जिला सीकर को छोड़कर) राज0।
16. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
17. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
18. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
19. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।

  
संयुक्त शासन सचिव